


फर्द अहकामे

प्रकरण सं० 43/2022

श्री प्रकाशचन्द्र बनाम श्री श्रीरुलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11/2/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी भी अनुपस्थित। प्रकरण में वकील वादी/प्रार्थी को विधिवतरूप से रूक रूक कर तीन बार आवाजे लगवाई गई, लेकिन उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील वादी/प्रार्थी पूर्व में भी अनुपस्थित रहा। वकील व वादी के अनुपस्थित रहने से प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।</p> <p>अतः पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम कि जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  मुख्य अधिकारी द्वारागढ़ (राज.) </p>	